

30/7/25 पत्रावली वाले आदेशार्थ पत्र

पत्र आर्थात् निवेदाज्ञा पेश हुई।

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। दिनांक

25/10/2024 को पारित अंतरिम

निवेदाज्ञा को ताफैल्ला मूल वाक

अर्थात् निवेदाज्ञा में बदला

(Continue) जाता है। विद्वत्

निर्णय पुस्तक से लिखा जाकर

शामिल पत्रावली किया जावे।

अ निर्णय आज दिनांक 30/7/2025

को सर इंजलान हुआ गया।

पत्रावली फैनल शुमार हो,

दर्ज नम्बर से कुम होकर

दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर  
जायल नगर प्रथम